सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सुभाष चन्द्र बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार सादुलशहर

अपील प्रकरण सं0 24/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
10.04.2019	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस हेतु दिनांक 25.04.2019 को पेश हो।	रिपोर्ट 680 10/4
25/4/19	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर 25/4/19 कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो।	
29/4/19	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर 29/4/19 कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 1/5/19 को पेश हो।	
1/5/19	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर 1/5/19 कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 2/5/19 को पेश हो।	
2/5/19	अपीलांट अधिवक्ता उप0। तहसीलदार सादुलशहर के पत्रांक-593/30.4.19 द्वारा रिकार्ड प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक 3/5/19 को पेश हो।	
3/5/19	अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील के बिन्दु संख्या 05 में अपीलांट की भूमि भारयुक्त भूमि होने से इसका कब्जा नहीं लिया जा सकता था और भारयुक्त भूमि का कब्जा लेकर यह भूमि अपीलांट को वापिस दी जानी थी जिसे अपनी बहस में स्वीकार किया। अतः पृथमदृष्टया अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उसे बिना नोटिस दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जबकि मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि नोटिस की पुष्त पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार सायल मौके पर उपस्थित नहीं मिला नोटिस की एक प्रति सायल के आबाद मकान पर चस्पा की गई। इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को सूचना होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। अपीलार्थी एक स्थान पर पैरा संख्या 02 में अपनी भूमि को भारयुक्त बताते है वही पैरा संख्या 05 में अपीलार्थी की भूमि को भारमुक्त बताया जा रहा है। अतः अपीलार्थी द्वारा पैरावाईज दी गयी स्थिति अस्पष्ट एवं विरोधाभाषी है। फलस्वरूप अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में मूल रिकॉर्ड तहसील कार्यालय के पत्र कमांक:रीडर/ 2019/593 दिनांक 30.04.2019 द्वारा प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.05.2019 को पेश हो।	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

29/5/19 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... पत्रावली दिनांक 28/6/19 को पेश हो।

28/6/19 अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित बहस हेतु ... पत्रावली ... दिनांक 7/8/19 को पेश हो।

7/8/19 अधिवक्ता उपस्थित बहस हेतु ... पत्रावली ... दिनांक 16/8/19 को पेश हो।

16.08.2019

अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील को आगे नही चलाना चाहते है। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने अपील प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत अपील नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Not Press
16/8/19

आदेश सुनाया गया।

16/8
अति. जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner